

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/22/2020 रजिस्ट्रेशन नं० 2020/00042 प्रवेश तिथि 25/02/2020 निर्णय दिनांक 23-2-2021

1. रिलाईन्स होम फाईनेन्स लिमिटेड, ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग, छठी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताक्रुज (ईस्ट) मुम्बई-400025

प्रार्थी

बनाम

1. एम.आई.सी.ए. इन्डस्ट्रीज लि०, निवासी, ए-36, द्वितीय मंजील, जे-6, ब्लॉक राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
दुसरा पता- जी-1032ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी जिला अलवर, राजस्थान 301019
2. विनय गुप्ता, निवासी बी.सी.58, बर्च कोर्ट निर्वाणा कन्ट्री, साउथ सिटी-2, गुडगांव फरीदाबाद, हरियाणा-122018
दुसरा पता:- एम.आई.सी.ए. इन्डस्ट्रीज लि०, निवासी ए-36, द्वितीय मंजील, जे-6, ब्लॉक राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
3. ओशिन बिल्डटैक प्रा० लि०, निवासी 72-मन्दिर मार्ग, हैदरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110088
4. विकास गोयल, निवासी विला-95, ब्लॉक जेड, तत्वम विलास, सैक्टर 48, गुडगांव हरियाणा-122001
दुसरा पता:- जी-1032ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी अलवर राजस्थान-301019


अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 60,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा दिनांक 31.08.2016 को उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति प्लॉट नं० जी1032-ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान 301019 को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त अवल सम्पत्ति प्लॉट नं० जी1032-ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया भिवाड़ी, जिला


जिला कलक्टर, अलवर

अलवर राजस्थान 301019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

3. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

4. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23-2-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्मूल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर